रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13042026-271765
CG-DL-E-13042026-271765

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 253] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 13, 2026/चैत्र 23, 1948
No. 253] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 13, 2026/CHAITRA 23, 1948

इस्पात मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2026

सा.का.नि. 277(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस्पात मंत्रालय (तकनीकी विंग) भर्ती नियम, 2002, को जहां तक उनका संबंध जो सहायक औद्योगिक सलाहकार, उप औद्योगिक सलाहकार और संयुक्त औद्योगिक सलाहकार के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, इस्पात मंत्रालय में तकनीकी विंग में पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: —

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इस्पात मंत्रालय (तकनीकी विंग) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2), स्तंभ (3) और स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन पद या अचयन पद।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सहायक औद्योगिक सलाहकार।	2 (2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय।	स्तर – 10 (56,100-1,77,500 रु.)।	लागू नहीं होता।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**
(6)	(7)
पैंतीस वर्ष से अधिक नहीं (भारत सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	आवश्यक(i).—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या धातुकर्म इंजीनियरी या इलेक्ट्रोनिक और संचार इंजीनियरी में स्नातक डिग्री। (ii) इस्पात संकर्म, इस्पात रोलिंग मिलों या विनिर्माण संयंत्र मशीनरी या मशीन औजार में तीन वर्ष का अनुभव; या लौह और इस्पात उद्योग के उत्पादन, योजना, विकास और अनुसंधान जिसमें इसके कच्चे माल भी सम्मिलित है, में तीन वर्ष का अनुभव।

	टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध की जाएँ, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं हैं। **वांछनीय.—**किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या धातुकर्म इंजीनियरी या इलेक्ट्रोनिक और संचार इंजीनियरी में स्नातकोत्तर डिग्री।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	एक वर्ष। **टिप्पण:** सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए भारत सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रेरण प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	सीधी भर्ती। **टिप्पण:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केन्द्रीय सरकार के अधीन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी । (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश धारण किए हुए हो; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग वेतन मैट्रिक्स के वेतन स्तर-9 (53,100-1,67,800रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 8 (47,600-1,51,100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में चार वर्ष की सेवा की हो। (ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती

		किए जाने के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणीयां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: 1. संयुक्त सचिव (तकनीकी विंग), इस्पात मंत्रालय (अध्यक्ष); 2. निदेशक, इस्पात मंत्रालय (सदस्य); और 3. निदेशक, इस्पात मंत्रालय (सदस्य)।	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. उप औद्योगिक सलाहकार।	2(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय।	स्तर – 11 (67,700-2,08,700 रु.)।	चयन।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	50% प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा द्वारा भी है।
		50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा द्वारा भी है।

(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर-10 (56,100-1,77,500 रु.) में ऐसे विभागीय सहायक औद्योगिक सलाहकार जिन्होंने इस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और उप औद्योगिक सलाहकार के पद के	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है पर किसी अधिकारी की नियुक्ति करते समय संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों से संबंधित कार्य के क्षेत्र में दो से चार सप्ताह की प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूरी की हैं। **टिप्पण:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या स्वशासी निकायों या कानूनी संगठनों के अधीन अधिकारी— (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग वेतन मैट्रिक्स में स्तर 9 (53,100-1,67,800 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में सात वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या धातुकर्म इंजीनियरी या इलेक्ट्रोनिक और संचार इंजीनियरी में स्नातक डिग्री; और **अनुभव:** (i) इस्पात संकर्म, इस्पात रोलिंग मिलों या विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी और मशीन औजार इकाई में पांच वर्ष का अनुभव; या	1. संयुक्त सचिव (तकनीकी विंग), इस्पात मंत्रालय (अध्यक्ष); 2. निदेशक, इस्पात मंत्रालय (सदस्य); और 3. निदेशक, इस्पात मंत्रालय (सदस्य)।	

(ii) लौह और इस्पात उद्योग के उत्पादन, योजना, विकास और अनुसंधान जिसमें इसके कच्चे माल भी सम्मिलित है, में पांच वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. संयुक्त औद्योगिक सलाहकार।	1(2026) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित अनुसचिवीय।	स्तर-12 (78,800-2,09,200 रु.)	लागू नहीं होता।

(6)	(7)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी या प्रोन्नति।
(11)	**(12)**	**(13)**
संयुक्त पद्धति द्वारा: प्रतिनियुक्ति जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है या प्रोन्नति: केंद्रीय या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्रों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या विश्वविद्यालयों या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन अधिकारी: - (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए है; या	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

(ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन स्तर-11 (67,700-2,08,700 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष की सेवा पूरी की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन स्तर-10 (56,100-1,77,500 रु.) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दस वर्ष की सेवा की हो या समतुल्य ; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हो: (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से यांत्रिक इंजीनियरी या विद्युत इंजीनियरी या रसायन इंजीनियरी या धातुकर्म इंजीनियरी या इलेक्ट्रोनिक और संचार इंजीनियरी में स्नातक डिग्री; और (ii) इस्पात संकर्म, इस्पात रोलिंग मिल या किसी विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी और मशीन औजार की इकाई में सात वर्ष का कार्य अनुभव; या (iii) लौह और इस्पात उद्योग के उत्पादन, योजना, विकास और अनुसंधान जिसमें इसके कच्चे माल भी सम्मिलित है, में सात वर्ष का कार्य अनुभव। **टिप्पण 1 :** वेतन मैट्रिक्स के स्तर -11 (67,700-2,08,700 रु.) में ऐसे विभागीय उप औद्योगिक सलाहकार जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा के साथ और प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव होने पर भी बाहरी वालों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी का चयन पद पर नियुक्ति के लिए किया ही जाता है, तो इसे प्रोन्नति पर भरा हुआ पद माना जाएगा। **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3** : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. ए-12011/1/2025-स्थापना]

सुदर्शन मैंदीरत्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF STEEL

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2026

G.S.R. 277(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Steel (Technical Wing) Recruitment Rules, 2002, in so far as they relate to the posts of Assistant Industrial Adviser, Deputy Industrial Adviser and Joint Industrial Adviser, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the president hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to posts in the Technical Wing in the Ministry of Steel, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Steel (Technical Wing) Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.—** The number of the post, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2), (3) and (4) of the Schedules annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person, —

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to Relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, and the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	**Number of Post.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**	**Whether Selection post or Non Selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Assistant Industrial Adviser.	2 (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non Ministerial.	Level – 10 (Rs. 56,100-1,77,500).	Not applicable.

Age Limits for Direct Recruits.	**Educational and other Qualification required for direct recruits.**
(6)	**(7)**
Not exceeding thirty five years (relaxable for government servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Government of India). **Note.—**The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	**Essential.—**(i) Bachelor's degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Chemical Engineering or Metallurgical Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised university or institute. (ii) Three years experience in steel works, steel rolling mills or in a unit manufacturing plant machinery or machine tools; or

	Three years experience in production, planning, development and research of iron and steel industry including its raw materials. **Note 1.—** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2.—**The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them. **Desirable.—** Master's degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Chemical Engineering or Metallurgical Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised university or institute.

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of Probation, if any.**	**Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	One year. **Note.—**There shall be a mandatory induction training for direct recruits of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by Government of India.	**Direct Recruitment** **Note.—**Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from the officers under the Central Government. (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two-years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 9 (Rs. 53,100-1,67,800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four-years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the level 8 (Rs. 47,600-1,51,100) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department. (b) Possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 7.

In case of recruitment by Promotion /Deputation /Absorption grades from which Promotion /Deputation /Absorption to be made.	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment.**
(11)	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: 1. Joint Secretary (Technical Wing), Ministry of Steel (Chairman); 2. Director, Ministry of Steel (member); and 3. Director, Ministry of Steel (member).	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
2. Deputy Industrial Adviser.	2(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non Ministerial.	Level – 11 (Rs. 67,700-2,08,700).	Selection.

(6)	**(7)**
Not applicable.	Not applicable.

(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	50% by Deputation including Short Term Contact. 50% by Promotion failing which Deputation including Short Term Contract.

(11)	**(12)**	**(13)**
Promotion: The Departmental Assistant Industrial Adviser in Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix with five years regular service in the grade and having successfully completed two to four weeks training duration in area of work related to duties and responsibilities of the post of Deputy Industrial Adviser. **Note.—**Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who	**Departmental Promotion** Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Joint Secretary (Technical Wing), Ministry of Steel (Chairman); 2. Director, Ministry of Steel (member); and 3. Director, Ministry of Steel (member).	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary while appointing an officer on deputation (including short term contract).

have already completed such qualifying or eligibility service. **Deputation (including short term contract):** Officers under Central or State Governments or Union territory Administrations or Public Sector Undertakings or Universities or recognised Research Institutions or Autonomous bodies or Statutory organisations— (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with seven years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 9 (Rs. 53,100-1,67,800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b)Possessing the following educational qualifications and experience: (i) Bachelor's degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Chemical Engineering or Metallurgical Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised university or institute; and **Experience:** (i) Five years experience in steel works, steel rolling mills or in a unit manufacturing plant, machinery and machine tools; or (ii) Five years experience in production, planning, development and research of iron and steel industry including its raw materials. **Note 1.—** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.—** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3.—** The Maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the last date of receipt of applications.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Joint Industrial Adviser.	1(2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'A' Gazetted Non Ministerial.	Level–12 (Rs. 78,800-2,09,200).	Not applicable.

(6)	(7)	
Not applicable.	Not applicable.	
(8)	**(9)**	**(10)**
Not applicable.	Not applicable.	Deputation including Short Term Contact or Promotion.

(11)	(12)	(13)
By Composite Method: Deputation including Short Term Contract or Promotion: Officers under the Central or State Governments or Union territories or recognised Research Institutions or Universities or Statutory or Autonomous Organisations— (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay Level-11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the parent cadre or department or equivalent; or (iii) with ten years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in pay Level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the parent cadre or department or equivalent; and (b) Possessing the following Educational qualification and experience: (i) Bachelor's degree in Mechanical Engineering or Electrical Engineering or Chemical Engineering or Metallurgical Engineering or Electronics and Communication Engineering from a recognised university or institute. ; and (ii) Seven years work experience in steel works, steel rolling mills or in a unit manufacturing plant, machinery and machine tools; or (iii) Seven years work experience in production, planning, development and research of iron and steel industry including its raw materials. **Note 1.—**The departmental Deputy Industrial Adviser in the level-11	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

(Rs. 67,700-2,08,700) of pay matrix with five years of regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation basis shall also be considered along with outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post; it shall be treated as having been filled on promotion. **Note 2.—**The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. **Note 3.—**The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. A-12011/1/2025-ESTT]

SUDERSHAN MENDIRATTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.04.13 15:28:13 +05'30'